कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87–राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स–0135–2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक– 165 /12–1 देहरादून, दिनांक, 29 जुलाई, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग में निर्माण हेतु 3.0835 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी. पी.06/209/2019/एफ0सी0 1147, दिनांक 24.11.2022 (संलग्नक–1) एवं अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कालसी का पत्रांक 622/22 सी0, दिनांक 30.05.2025 (संलग्नक–2)

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में आपत्ति लगायी गयी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा अपने पत्रांक 303/12–1, दिनांक 26.07.2025 (संलग्नक–3) से आपत्ति का निराकरण कर अपनी आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा प्रेषित आख्या संस्तुति सहित आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– यथोपरि

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 165 / 12–1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 303/12–1, दिनांक 26.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

संलग्नक -1

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यूसी.पी./06/209/2019/एफ0 सी0/1147 दिनांक 24/11/2022

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।(FP/UK/ROAD/34380/2018)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 840/FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक 24-09-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 06.08.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावित मार्ग की satellite imagery से यह दर्शित हो रहा है कि एक मार्ग पूर्व से ही घने वन से निकलते हुए प्रस्तावित मार्ग के ही गंतव्य (destination) की ओर जा रहा है, हालांकि, घने वन को पार करने वाले प्रस्तावित मार्ग का संरेखण भिन्न है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस दृष्टि से प्रस्ताव की जाँच करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) 24-11-2022
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

संलग्नक - 2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

ccpmgsykalsi@rediffmail.com
01360-275015

पत्रांक : 622 /22सी

दिनांक : 30/5/2025

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग,
चकराता।

विषयः— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथिान से डिरनाड मोटर मार्ग में निर्माण हेतु 3.0835 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/1147 दिनांक 24.11.2022, आपका पत्रांक 2205/12–1चकराता, दिनांक 20 नवम्बर, 2024 एवं संबंधित सहायक अभियन्ता का पत्र सं0 295/सी.बी. दिनांक 17.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0सी0/866 दिनांक 06.08.2020 द्वारा प्राप्त हुई तत्पश्चात विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही करने के पश्चात compliance online upload की गयी जिस पर दिनांक 24.11.2022 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा ऑनलाईन आपत्ति लगाई गयी है कि :—

आपत्ति	निराकरण
"प्रस्तावित मार्ग की Satellite Imagery से यह दर्शित हो रहा है कि एक मार्ग पूर्व से ही घने वन से निकलते हुए प्रस्तावित मार्ग के ही गंतव्य (destination) की ओर जा रहा है हालाकि घने वन को पार करने वाले मार्ग का समरेखण भिन्न है।"	अवगत कराना है कि Satellite Imagery से जो मार्ग दिखाई दे रहा है वह मार्ग वनमार्ग (LVR) है, जिसकी चौड़ाई लगभग 3.75 मी. है, तथा समरेखण में हेयरपिन बैण्ड अत्यधिक हैं एवं मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुरूप अत्यंत खराब है जिस कारण मार्ग पर दुर्घटना होने की सम्भावना होती है तथा मार्ग की लम्बाई 8.00 कि.मी. आ रही है जो स्वीकृत समरेखण 7.500 कि.मी. से अधिक है, जिस कारण इस समरेखण का चयन न करते हुए प्रश्नगत समरेखण का चयन किया गया है जिसमें मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, एवं वन विभाग द्वारा वृक्षों का छपान व पातन किया गया है, उसी समरेखण में मार्ग प्रस्तावित है।

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 रोहित श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0 कालसी

पत्रांकः /22सी दिनांकः / /202

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, नि0ख0, लो0नि0वि0 कालसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इं0 रोहित श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0 कालसी

संलग्नक-③

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टेली, फैक्स नं0–01360–275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं0 18008909715

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक–303 /12–1 चकराता दिनांक 26 जुलाई 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग में निर्माण हेतु 3.0835 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी.06/209/2019/एफ0सी0/1147 दिनांक 24.11.2022 (संलग्नक–1) एवं अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कालसी का पत्रांक–622/22 सी0 दिनांक 30.05.2025 (संलग्नक–2) व आपका कार्यालय पत्रांक–2290/12–1 दिनांक 13.06.2025

महोदया,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा पत्र सं0–8बी/यू.सी.पी. 06/209/2019/एफ0सी0/1147 दिनांक 24.11.2022 से आपत्ति लगाई गई कि "प्रस्तावित मार्ग की Satellite Imagery से यह दर्शित हो रहा है कि एक मार्ग पूर्व से ही घने वन से निकलते हुए प्रस्तावित मार्ग के ही गंतव्य (destination) की ओर जा रहा है, हालांकि घने वन को पार करने वाले प्रस्तावित मार्ग का समरेखण भिन्न है।" की दृष्टि से प्रस्ताव की जांच करने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कालसी द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र दिनांक 30.05.2025 से उक्त आपत्ति का निराकरण इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रश्नगत मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण जांच सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी से करवाई गई है। उप प्रभागीय वनाधिकारी त्यूनी उप प्रभाग द्वारा अपने पत्र संख्या–32/12–1 दिनांक 22.07.2025(संलग्नक–3) से इस कार्यालय को प्रेषित आंख्या जो निम्न प्रकार है:–

आपत्ति	निराकरण
प्रस्तावित मार्ग की Satellite Imagery से यह दर्शित हो रहा है कि एक मार्ग पूर्व से ही घने वन से निकलते हुए प्रस्तावित मार्ग के ही गंतव्य (destination) की ओर जा रहा है, हालांकि घने वन को पार करने वाले प्रस्तावित मार्ग का समरेखण भिन्न है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि Satellite Imagery से जो मार्ग दिखाई दे रहा है वह मार्ग वन मार्ग (I.VR) है, जिसकी चौड़ाई लगभग 3.75 मी0 है, तथा समरेखण में हेयरपिन बैण्ड अत्यधिक है एवं मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुरूप अत्यंत खराब है जिस कारण मार्ग पर दुर्घटना होने की सम्भावना होती है एवं मार्ग की लम्बाई 8.00 कि0मी0 आ रही है जो स्वीकृत समरेखण 7.500 कि0मी0 से अधिक है, जिस कारण इस समरेखण का चयन न करते हुए प्रश्नगत समरेखण का चयन किया गया है। उप प्रभागीय वनाधिकारी, त्यूनी उप प्रभाग की आंख्या अनुसार प्रस्तावित मार्ग (कथियान से डिरनाड) की अपेक्षा Satellite Imagery मे दिख रहे भिन्न समरेखण मार्ग में अत्याधिक बैण्ड एवं वृक्षों का पातन अधिक हो रहा था। जिस कारण इस समरेखण का चयन न करते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत समरेखण का चयन किया गया है।

अतः उपरोक्त आंख्या संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की विषयक मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– /12–1 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि –अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कालसी को उपरोक्त विषयक के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

NEW 176

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी, त्यूनी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
पत्रांक– 32 /12-1 त्यूनी, दिनांक 22 जुलाई, 2025.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, कालसी।

विषयः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण की पत्रसंख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/209/2019/ एफ0सी0/1147 दिनांक 24.11.2023 वन सरंक्षण,यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पंत्राक–2290/12–1 दिनांक 13.06.2025 तथा आपका कार्यलय पंत्राक–31/12–1 दिनांक 02.07.2025 एवं वन क्षेत्राधिकारी का पत्रांक 17/12–1, दिनांक 15.07.2025

महोदय,

विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित आपत्ति/शंकाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग हेतु चिन्हित वन भूमि का स्थलीय एवं पूर्व से आंशिक निर्मित मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन/निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी, बावर के द्वारा कराया गया। स्थलीय निरीक्षण के द्वारा यह पाया गया कि:–

1– मुख्य रोड़ से जहां पर दोनों मार्ग बीच में मिल रहे हैं वहां तक आपत्ति में वर्णित Sattelite imagery में दिख रहे भिन्न समरेखण (आरक्षित वन मोटर मार्ग) की लम्बाई लगभग 3.2 किमी0 तथा चौड़ाई लगभग 3.75 मी0 है। वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित मार्ग कथियान मुख्य मार्ग से जहां पर दोनों मार्ग मिल रहे हैं वहां तक दूरी लगभग 2.40 किमी0 तथा चौड़ाई 6 मी0 है एवं प्रस्तावति मार्ग की लम्बाई लगभग 7.50 किमी0 है Sattelite imagery में दिख रहे भिन्न समरेखण मार्ग की लम्बाई लगभग 8 किमी0 है।

2– मुख्य रोड़ से जहां पर दोनों मार्ग मिल रहे हैं प्रस्तावति मार्ग के अपेक्षा Sattelite imagery में दिख रहे भिन्न समरेखण मार्ग में बैण्ड अधिक हैं।

3– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कालसी के पत्रांक 622/22सी, दिनांक 30.05.2015 के अनुसार पूर्व वन मार्ग ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुरूप अत्यन्त खराब है जिस कारण मार्ग पर दुर्घटना होने सम्भावना है, जो कि सत्य पाया गया है।

4– प्रस्तावित मार्ग में पहले 6 फुटी पैदल मार्ग था जो कि कथियान बाजार से वन आरक्षी चौकी तक थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि पूर्व वन मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने पर प्रस्तावित मार्ग से अधिक वृक्षों का पातन हो रहा था।

वन क्षेत्राधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या तथा आख्या से संबंधित अभिलेख (KML) से रिपोर्ट की पुष्टि हो जाती है।

अतः वन क्षेत्राधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए उपरोक्तानुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

भवदीया,

(विभु)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
त्यूनी

चकराता वन प्रभाग
564
12-1
26-7-25

D man
क0आ0का0वरी
26/5